

महोदय जी

रिपोर्ट पटवारी हल्का भोपतपुरा

निवेदन है कि प्राचीन पंखा पुत्री स्वरूपा जाति बंजारा नि.
भोपतपुरा की भूमि ग्राम भोपतपुरा में स्थित है। ग्राम भोपतपुरा की खाता
संख्या - 32, 33, 91 एवं 92 जमाबंदी सन् 2076-2079 (वर्ष 2020 से स्थायी)
पर पंखा पुत्री स्वरूपा दर्ज है। प्राचीन पत्र में सलग्न दस्तावेज व पटवाड़ी मौका
जांच रिपोर्ट अनुसार सही नाम पंखा पुत्री स्वरूपा है। अतः शुद्ध कृपया का आदेश
रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक वृत्त बिजौलिया ताला उदान क शर्मा । 01111111
प-भोपतपुरा

महोदय जी,

निवेदन है कि ग्राम - भोपतपुरा की खाता संख्या 32, 33, 91 व 92
पर प्राचीन का नाम पंखा पुत्री स्वरूपा दर्ज है। सलग्न दस्तावेजों में नाम पंखा
दर्ज है। प्राचीन का नाम सही नाम से जाना जाता है। सलग्न दस्तावेज व रिपोर्ट
पटवारी अनुसार नाम शुद्ध किया जाकर पंखा के स्थान पर पंखा दर्ज किया जा रहा है।
रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलिया

दिनांक 25/7

दिनांक 23/12/2025

महोदय जी, निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी एका भोपतपुरा, भू.अ. नि. 23/12/25

बिजौलिया ताला व सलग्न दस्तावेजों अनुसार ग्राम - भोपतपुरा 32, 33, 92 व
91 में पंखा पुत्री स्वरूपा के स्थान पर पंखा पुत्री स्वरूपा दर्ज करने की
आमिर्शदा की जाती है।

आदेश

तहसीलदार

बिजौलिया

तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

प्राचीन स्वयं के प्राचीन पत्र, सलग्न दस्तावेजों, पटवारी भोपतपुरा
भू.अ.नि. बिजौलिया ताला, तहसीलदार बिजौलिया, की जांच रिपोर्ट के आधार
पर प्राचीन का नाम ग्राम भोपतपुरा के खाता
संख्या 32, 33, 91, 92 में पंखा पुत्री स्वरूपा
के स्थान पर पंखा पुत्री स्वरूपा दर्ज करने
के आदेश पारित किए जाते हैं।

(उज्ज्वल सिंह रावठ)
उपखण्ड अधिकारी
शांति प्रभारी

ग्रामिण सेवा फॉलोअप शिविर 2025
भू.अ.भि. बिजौलिया तह. बिजौलिया



प्रशासन गांवों के लिए
अभियान 2025

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, विजौलिया
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2025 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान विजौलिया

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गोपतपुरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार विजौलिया की अनुशासा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोपतपुरा तहसील विजौलिया जिला मेरगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में खाता संख्या 32,33, 91, 92 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
(1)	<u>गोपतपुरा</u>	<u>32,33, 91, 92</u>	<u>पिंकी पुत्री स्वरूपा</u>	<u>पंखा पुत्री स्वरूपा</u>



(अनीत सिंहरावत)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, विजौलिया

दिनांक :- 11/25
दिनांक :-

दिनांक :- 23/12/25

तहसीलदार, विजौलिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद घोषित किया जाकर पंखा पुत्री स्वरूपा रिपोर्ट भिजवाये।
प्रार्थी श्री पंखा पुत्री स्वरूपा को सूचनार्थ।
अधिकृत पत्रावली।



(अनीत सिंहरावत)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, विजौलिया